न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
प्रार्थना –पत्र नम्बर 50/2025
उनवान ओमप्रकाश बनाम रामसिह वगैरा
प्रार्थना – पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) आरटीए

1. ओमप्रकाश पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी चक 3 एम.जे.डी तह.संगरिया जिला हनुमानगढ

बनाम

1. रामसिंह पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया

अप्रार्थीगण

–:आदेश:–

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर.टी.एक्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम तहसील संगरिया के चक न 3 एम.जे.डी. ज.स. 2072–2075 के खाता स 8/8 मे साझा खाता मे 3.900 है व अप्रार्थी स 1 के नाम इसी चक के खाता स 79/71 मे 0.75 9 है कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त खातो की जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी के कब्जा काष्त की भूमि चक न 3 एम.जे.डी ज.स. 2072– 2075 के खाता सं 8/8 के प.न 169/180 मु.न. 25 किलान 2,8,9 मे आने जाने हेतु कोई स्वीकृत रास्ता नही है। उक्त भूमि प्रार्थी को घरूबंटवारा मे प्राप्त हुई है। इसलिए प्रार्थी अपने चक न 3 एम.जे.डी. ज.स. 2072–2075 के खाता स 8/8 के प.न. 169/180 मु.न 24 कि न 22 व प.न. 169/181 मु. न. 25 किला न 2,8,9 मे आने जाने हेतु अप्रार्थी स 1 के कब्जा काष्त की भूमि चक न 3 एम. जे.डी ज.स. 2072–2075 के खाता स 79/71 के मु.न. 25 किला न 11,19,22 मे पष्चिमदिष में किलास न 11,20,21 से चिपता उतर से दक्षिण लम्बा 0.025 है प्रत्येक कुल– 0.075 है रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी व दावेदार है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से 1 से कई बार निवेदन किया चक न 3 एम.जे.डी ज.स. 2072–2075 के खाता स 79/71 के मु.न. 25 किला न 11,19,22 मे पष्चिम दिषा मे किला न 11,2.,21 से चिपता उतर से दक्षिण लम्बा 0.025 है प्रत्येक कुल/0. 075 है रास्ता राजस्व रिकार्ड मे स्वीकृत करवा दो तो अप्रार्थी स 1 पहले तो टाल–मटोल करते रहे किन्तु बाद में पिछले सप्ताह प्रार्थी की बात मानने से कतई इन्कार हो गए बस यही प्रार्थना पत्र का कारण है। प्रार्थना पत्र बाबत व रास्ता स्वीकृत का है जो 2 रूपये के न्याय शुल्क पर पेष है व अन्दर मियाद है व माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है।

अंतः प्रार्थना पत्र 251–ए आर.टी.ए प्रस्तुत कर निवेदन है चक न 3 एम.जे.डी. ज.स. 2072–2075 के खाता स 79/71 के मु.न. 25 किला न 12.19.22 मे पश्चिम दिशा मे किला न 11,20,21 से चिपता उतर से दक्षिण लम्बा 0.025 है प्रत्येक कुल–0.075 है का रास्तां स्वीकृत कर इसी अनुसार चालु करवाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 को बार–बार समय दिये जाने पर भी अपना जवाब प्रस्तुत नही किया गया। इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार संगरिया से उक्त रास्ता के प्रकरण को सही रूप से निस्तारण करने एवं मौका की जांच रिपोर्ट चाही जाने पर उन्होने अपने पत्र क्रमांक 1852 दिनांक 24.07.2025 द्वारा पक्षकार आपस मे सहमत नही होना व प्रार्थी को रास्ता अत्यधिक आवश्यकता होना एवं आवेदित रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प नही होना बताते हुए रास्ता स्वीकृत किये जाने की अनुशंषा की गई।

पत्रावली में तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थना की अत्यातिंक आवश्यकता है, रास्ता क़ी मांग सुविधा के लिये नही की जा रही है अपितु आवश्यकता होने पर स्वीकृत करवाना चाहते है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251 ए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" एवं वैकल्पिक रास्ते का अभाव पर विचारण किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्टतया प्रकट होता है कि प्रार्थी की कृषि भूमि चक 3 एमजेडी में काश्त करने बाबत जाने हेतु मन्जूर शुद्वा रास्ते का अभाव होने से रास्ते की आत्यंधिक आवश्कता है। अतः यह रास्ता सुविधा के लिए नहीं अपितु आत्यंतिक आवश्यकता के लिए है। अतः न्यायहित में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में अप्रार्थी के रकबा में से चक नम्बर 3 एमजेडी के प.न. 169/181 मु.न. 25 के किला नं. 12,19,25 में पश्चिम दिशा में किलां नं. 11,20,21 से चिपता उत्तर से दक्षिण दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है और इसके बदले में प्रार्थी का किला नम्बर 9 मे से उक्तानुसार रकबा कम कर किला नं. 12 के चिपता रास्ते के सामने से छोड़ते हुए अप्रार्थी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश जाते है। अप्रार्थी को उक्त रकबा का उक्तानुसार कब्जा दिलवाया जाकर भू.अ.निरीक्षक/हल्का पटवारी की उपस्थिति में रास्ता चालू करवाया जाना सुनिशिचित करे। तहसीलदार संगरिया को इस बाबत पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

आदेश आज दिनांक 19.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया